THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b). Special Organising Committee entered into a contract with M/s. Security Organisation and Methods Consultants having their regional office in Nehru Place, New Delhi to provide complete house-keeping and allied services in the Village for a period of 40 days at a lump sum cost of Rs. 9,56,000/-. The contract envisaged providing the services of 415 personnel primarily in the categories of sweepers, house attendants, supervisors and store-keepers. No money was paid in advance by the Special Organising Committee to this firm.

(c) and (d). The workers employed by the firm were not satisfied with their service conditions and struck work on the very first day of the beginning of the contract, *i.e.* 1st November, 1982. The firm did not make any improvements inspite of notices from the Special Organising Committee and the contract had to be cancelled on 13th November, 1982. These workers were then employed directly by the Village administration and they were paid better wages than that paid to them by the firm. However, the wages paid by the Village administration were less than the contracted wages payable by the Special Organising Committee to the firm.

(e) These workers were employed on a purely *ad hoc* and temporary basis and they were relieved after the closing of the Village.

(f) and (g). Do not arise.

उत्तर प्रदेश में गन्ने की बकाया राशि

22. श्री अशफाक हुसैन : क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार अथवा चीनी निगम द्वारा चलाये जा रहे मिलों, गैर सरकारी क्षेत्र उद्यमों द्वारा चलाये जा रहे मिलों और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण अथवा संरक्षण के अधीन कार्यरत मिलों पर दिनांक 20 जनवरी, 1983 को किसानों का गत पिराई के समय का उनके गन्ने के मूल्य का क्रमशः 22 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया और 2 करोड़ रुपया बकाया था;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में किसानों को बकाया राशि का मिलवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार प्राक्कलन के अनुसार कुल कितनी राशि बकाया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के अधीन अपेक्षित 15 दिन के अन्दर किसानों की राशि का भुगतान न करने के कारण देय ब्याज की कितनी राशि मिलवार बकाया है और ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें 15-1-83 तक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य के बकायों का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रथालय में रखा। गया देखिए संख्या एल० टी०—5790/83] । 20-1-83 तक की सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचनानुसार, केवल कुछेक फैक्ट्रियां ही गन्ने के मूल्य का विलम्ब से भुगतान करने के कारण गन्ना उत्पादकों को ब्याज दे रही हैं। कोई और विवरण उपलब्ध नहीं है। गन्ना (नियंत्रण) आदेश का उल्लंघन करने के मामलों के बारे में चूककर्ता यूनिटों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जानी होती है क्योंकि उनके पास इस सम्बन्ध में आवश्यक शक्तियां और फील्ड संगठन हैं ।